न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, सह विशेष न्यायाधीश, बिहारशरीफ, नालन्दा।

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 503/2026

मो0 इमरान बनाम बिहार सरकार

महिला थाना कांड संख्या 21/2026

अंतर्गत धारा 64(1), 126(2), 115(2), 352, 351(1) B.N.S

10.04.2026

अभियुक्त **मो0 इमरान खान** की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन पर बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता श्री शैलेन्द्र कुमार सविता तथा विद्वान लोक अभियोजक श्री अनुज कुमार का तर्कपूर्ण बहस सुना ।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक निर्दोष है, उन्हे झूठे व गलत आधार पर इस वाद में फंसा दिया गया है । आवेदक की ओर से इस जमानत आवेदन के अलावा और कोई जमानत आवेदन इस न्यायालय या कोई वरीय न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है । उक्त धाराओं का अभियोग आवेदक के विरूद्ध बनता प्रतीत नहीं होता है। उनका यह भी कथन है कि आवेदक की उम्र 31 वर्ष है तथा सूचिका 50 वर्षीय महिला है। आवेदक ने सूचिका का कोई फोटो व विडियो नहीं बनाया है। आवेदक को पुलिस द्वारा गिरफतार किए जाने की संभावना है। अतः इन्हें जमानत का लाभ प्रदान किया जाय ।

विद्वान लोक अभियोजक आवेदक के उक्त जमानत आवेदन का विरोध करते है।

उभयपक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभियोजन का वाद संक्षेप में यह है कि दिनांक 19.02.2026 को समय 12:00 बजे दिन में घर गई तो उनके ननद का बेटा मो0 इमरान खान उर्फ नाटा, मो0 शाहबउद्दीन, ननद रजिया खातुन उर्फ चंदा प्रवीण, मो0 बॉबी सभी मिलकर गाली–गलौज कर मारपीट करने लगे और तरह–तरह का ताना देने लगे। दिनांक 02.02.2026 को जो महिला हेल्प लाईन में आवेदन दिया है इससे हमलोगों का क्या बिगड़ जाएगा। घटना का कारण वर्ष 2023 में सूचिका का भगना उनके घर मिठाई लेकर आया था जिसे खाकर वह बेहोश हो गई। उसी बेहोशी की हालत में मो0 इमरान खान उर्फ नाटा उनके साथ बलात्कार किया तथा अपने मोबाईल में फोटो व विडियो बना लिया। होश आने पर सूचिका ने देखा कि वह नग्न है तब उसने इमरान खान से पूछा कि तुमने मेरे साथ बलात्कार किया है तब उसने वीडियो दिखाई तथा कहा कि अगर किस को बताओगी तो पूरे परिवार में यह वीडियो भेज देगे। सूचिका डर के कारण किसी को नहीं बताई। उसके साथ मो0 ईमरान धमकी एवं डर दिखाकर हमेशा बलात्कार करता रहा। दिनांक 13.01.2026 को इमरान खान सूचिका के घर आया तथा जबरदस्ती किया। दिनांक 23.01.2026 को वह सूचिका के पास आया और बोला कि वीडियों बड़े मामा

न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, सह विशेष न्यायाधीश, बिहारशरीफ, नालन्दा।

अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 503/2026

मो0 इमरान बनाम बिहार सरकार

महिला थाना कांड संख्या 21/2026

अंतर्गत धारा 64(1), 126(2), 115(2), 352, 351(1) B.N.S

लगातार

10.04.2026

मो0 बौबी और छोटी मौसी प्रवीण खातुन को भेज दिया हूं। ये जानने के बाद सूचिका ने जहर खा ली। उनकी गंभीर स्थिति को देखकर उनके पति हॉस्पीटल ले गए तथा सूचिका ने सारी बात उन्हें बता दी। सूचिका के पति उसे थाना लेकर जाने लगे तो परिवारी के अन्य सदस्यों ने महिला हेल्प लाईन में जाने का सलाह दिए। इस बात की जानकारी उनके बड़े भैंसूर मो0 अकिल को भी पता है।

अभिलेख एवं कांड दैनिकी से विदित होता है कि आवेदक के विरूद्ध गंभीर यौन अपराध एवं डिजिटल साक्ष्यों के माध्यम से ब्लैकमेलिंग करने का आरोप है। कांड दैनिकी के अवलोकन से स्प्ष्ट है कि अभी मोबाईल एवं इलेक्ट्रॉनिक गैजेटस में आपत्तिजनक फोटो/वीडियो की बरामदगी शेष है और अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अनुसंधान लंबित है। कांड दैनिकी के अनुसार अभियुक्त का पूर्व इतिहास भी है। वाद अभी अनुसंधानरत है एवं आवेदक के विरूद्ध गंभीर प्रकृति के अपराध है। आवेदक को इस stage पर अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः मामले के तथ्यों और परिस्थितियों व अपराध की गंभीरता को देखते हुए आवेदक **मो0 इमरान खान** की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन को खारिज किया जाता है।

(लेखापित एवं संशोधित)

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम
सह विशेष न्यायाधीश
नालन्दा, बिहारशरीफ।